उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2
संख्या-106 /2020/1496/92-2-2020-05 जांच/2019
लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-अम्बेडकर नगर के कार्यकाल में उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्यों को हटाये जाने संबंधी) नियमावली, 1997 के अनुसार ग्राम प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही की शक्ति का अधिकार राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट में निहित होने के क्रम में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर, ब्लाक- रामनगर की ग्राम पंचायत- हुसैनपुर मुसलमान के ग्राम प्रधान के विरूद्ध उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-95 (1) (जी) के अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के आदेश सं0-6079 दिनांक 14-03-2018 द्वारा जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अम्बेडकर नगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-7990(एम/एस)/2018 श्रीमती शम्स कमर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07-03-2019 को विस्तृत आदेश पारित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-03-2019 के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या-936/92-2-19-05जांच/2019, दिनांक 08-05-2019 द्वारा श्री मदन पाल वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- अम्बेडकरनगर सम्प्रति प्रखण्ड- फैजाबाद से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री वर्मा द्वारा पत्रांक-507/ग्रा0अ0वि0/जांच-हुसैनपुर मुसलमान/2019-20, दिनांक 27-05-2019 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। तत्क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1224/92-2-2019-05 जांच/2019, दिनांक 03-07-2019 द्वारा शासन के पत्र दिनांक 08-05-2019 द्वारा श्री मदन पाल वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- अम्बेडकरनगर सम्प्रति प्रखण्ड- फैजाबाद से मांगे गये स्पष्टीकरण को निम्नानुसार परिनिन्दा का दण्ड देते हुए प्रकरण को समाप्त किया गया:-

> **" जनपद अम्बेडकरनगर का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के आदेशों व मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ से आच्छादित लोकहित से जुडे महत्वपूर्ण प्रकरण को संज्ञान में न लिये जाने की लापरवाही एवं कार्यों के प्रति उदासीनता के लिए श्री मदन पाल वर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- अम्बेडकरनगर सम्प्रति प्रखण्ड- फैजाबाद को परिनिन्दित किया जाता है। यह परिनिन्दा वर्ष 2018-19 के लिए मानी जायेगी।"**

2- शासन के उपरोक्त दण्ड दिनांक 03-07-2019 के विरूद्ध श्री मदनपाल वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड- अम्बेडकरनगर के पत्रांक-514/ग्रा0अ0वि0/जांच-हुसैनपुर मुसलमान/2019-20 दिनांक 14-08-2019 द्वारा शासन में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुए निम्नवत् अवगत कराया गया:-

निदेशालय के आदेश सं0-2209/ दिनांक 30-01-2019 के क्रम में श्री वर्मा द्वारा दिनांक 31-01-2019 को प्रखण्ड- अम्बेडकरनगर का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया गया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दोहरे कार्यभार के फलस्वरूप उनके द्वारा आदेश दिनांक 01-02-2019 से प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर में कार्यरत एक मात्र सहायक अभियन्ता श्री जे0बी0 सिंह को उनकी अनुपस्थिति (वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को छोडकर) सामान्य शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु आदेशित किया गया था। तत्समय प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर में लम्बित उक्त जांच कार्यवाही के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं हो पायी थी। प्रकरण जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 14-03-2018 द्वारा विगत वर्ष में प्रखण्ड को प्राप्त हुआ था, तत्समय प्रखण्ड- अम्बेडकरनगर में श्री टी0एन0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता कार्यरत थे। श्री सिंह के स्थानान्तरण के उपरान्त माह जुलाई श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रखण्ड- अम्बेडकर नगर में कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रश्नगत प्रकरण को श्री टी0एन0 सिंह एवं श्री एस0के0 गुप्ता द्वारा क्रमशः 06 माह एवं 08 माह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लम्बित रखा गया, जिसके कारण ग्राम प्रधान एवं शिकायतकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गई। श्री एम0पी0 वर्मा को दिनांक 31-01-2019 को प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर का कार्यभार हस्तान्तरित किया गया, किन्तु घरेलू समस्या उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप जिलाधिकारी, अयोध्या से दिनांक 09-02-2019 से 12-02-2019 तक कुल 04 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृतोपरान्त श्री वर्मा को मुख्यालय से बाहर जाना पडा। श्री वर्मा के मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान ही जिला पंचायत राज अधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा श्री जे0बी0 सिंह, सहायक अभियन्ता से उक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में जांच कार्यवाही कर जांच आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई। तदोपरान्त श्री जे0बी0 सिंह, सहायक अभियन्ता एवं श्री बी0पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 11-02-2019 (श्री वर्मा के अवकाश अविध में) को प्रकरण की जांच कर जांच आख्या हस्ताक्षरित कर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के पत्र दिनांक 12-02-2019 द्वारा जिलाधिकारी, अयोध्या को प्रेषित कर दी गयी। इस प्रकार जांच कार्यवाही कर जांच आख्या प्रेषित करने तक प्रकरण की कोई जानकारी श्री वर्मा के संज्ञान में नहीं लाया गया। अतएव श्री एम0पी0 वर्मा, अधिशासीअभियन्ता द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु दोषी मानकर परिनिन्दित किये जाने को न्यायोचित नहीं बताते हुए उक्त परिनिन्दा प्रविष्टि को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

3- श्री एम0पी0 वर्मा, अधिशासी अभियन्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 14-08-2019 एवं प्रश्नगत प्रकरण के गहन परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 14-08-2019 में किसी ऐसे तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके कारण शासन कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1224/92-2-2019-05 जांच/2019, दिनांक 03-07-2019, जिसके द्वारा श्री एम0पी0 वर्मा को वर्ष 2018-19 के लिए परिनिन्दा का दण्ड दिया गया है, में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सके। अतएव सम्यक विचारोपरान्त शासन कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1224/92-2-2019-05 जांच/2019, दिनांक 03-07-2019 विरूद्ध श्री एम0पी0 वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 14-08-2020 को बलहीन होने के कारण एतद्द्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 106/2020/1496(1) /92-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
2- श्री एम0पी0 वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर सम्प्रति प्रखण्ड- अयोध्या द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in